सं0– 485/35–1–2016–2/1(86)/2014. 1/5/2016/

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

जारी/श्री जी.एस. ओझा
13/6/2016

सहमत
उमा द्विवेदी 07.6.16
(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव, वित्त विभाग

सेवा मे,

परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,
योजना भवन, लखनऊ।

जारी
13-6-2016

नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 13 जून, 2016

विषय : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के संचालन तथा राज्य जैव ऊर्जा नीति–2014 के कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं के संचालनार्थ बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोले जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदो/फलों आदि के कृषिकरण के अनुक्रम में कृषि, वानकी, औद्यानिकी तथा पशु चारागाह हेतु अनुपयुक्त भूमि का उपयोग करते हुये जैव ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम जिसमें औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदों/फलों के कृषिकरण, मिशन बायोडीजल, मिशन बायो एथेनाल, मिशन बायो गैस तथा मिशन प्रोड्यूसर गैस के क्रियान्वयन आदि के सम्बन्ध में **"राज्य जैव ऊर्जा नीति 2014"** शासनादेश सं0 1569/35–1–2014–2/1(86)/2014 दिनांक 14.11.2014 द्वारा निर्गत की गयी है। तत्क्रम में उक्त नीति से आच्छादित योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रामों के प्रभावी/सुचारू रूप से/समयवद्ध रूप से क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तरीय निर्णय के उपरान्त नियोजन विभाग के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में **"उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड"** का गठन, कार्यालय ज्ञाप संख्या– 40/2015/1261/35–1–2015–2/1(86)/2014 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा किया गया है।

उक्त शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप के क्रम में सोसाइटी पंजीयन 1860 के अन्तर्गत बोर्ड का पंजीयन सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार कार्यालय सोसाइटी चिटस फण्ड्स फर्मस, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में हो चुका है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/राज्य जैव ऊर्जा नीति–2014 के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन हेतु परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा राज्य समन्वयक/मुख्य परिचालन अधिकारी, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के पद नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलने हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. प्रश्नगत बचत खाता वित्त (लेखा) अनुभाग–1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–ए–1–122/दस–2012–10 (33)/2010 दिनांक 21.03.2012, शासनादेश सं0 10/2015–ए–1–502/दस–2015–10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015, शासनादेश सं0–14/2015–ए–1–879/दस–2015–10 (33)/2010 दिनांकः 23.09.2015 एवं शासनादेश संख्या–03/2016–ए–1–170/दस–2016–10 (33)/2010 दिनांक 23.02.2016 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

2. प्रश्नगत खाता बचत खाता होगा, * जिसे उ०प्र०राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के नाम से खोला जायेगा

3. ~~2.~~ बैंक खाते का संचालन बोर्ड में तैनात राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक ~~मुख्य परिचालन अधिकारी~~ तथा नियोजन विभाग के वित्त नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

4. ~~3.~~ बैंक खाते को योजनावधि तक चालू रखा जायेगा। योजना समाप्त होने पर खाते को नियमानुसार बन्द कर दिया जायेगा।

5. ~~4.~~ खाते के संचालन एवं रख रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित पालन किया जायेगा।

6. ~~5.~~ उक्त खाते का उपयोग उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/राज्य जैव ऊर्जा नीति–2014 के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं से सम्बन्धित धनराशि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।

7. ~~6.~~ यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 ई-5-513/दस.2016 दिनांक 07 जून, 2016 में प्राप्त, उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

सं0 15/2016/1085 (01)/35–1–2016–2/1(86)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा–परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
5. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, (बायो फ्यूल), नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/परियोजना निदेशक, संयुक्त परियोजना निदेशक/राज्य समन्वयक/मुख्य परिचालन अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
9. केन्द्रीय सहायता (वित्त) अनुभाग।
10. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
11. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
12. वित्त (लेखा) अनुभाग–1
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश सारांश

शासनादेश संख्या विवरण	15/2016/ 485/35-1-2016		
शासनादेश संख्या जारी करने का समय	13/06/2016 1:14PM		
1.विभाग एवं अनुभाग:	नियोजन विभाग (नियोजन अनुभाग-1)		
2.श्रेणी:	अन्य/विविध	3.गोपनियता का स्तर:	जनमानस हेतू उप्लब्ध
4.शासनादेश दिनांक:	13/06/2016	5.अंकित धनराशि:	0.00
6.पत्रावली संख्या:	2/1(86)/2014		
7.विषय:	उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के संचालन तथा राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं के संचालनार्थ बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोले जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।		

कृपया ध्यान दें:-शासनादेश की MS-WORD एवं PDF फाइल अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि WORD/PDF फाइल में वेबसाइट से प्राप्त शासनादेश संख्या:- 15/2016/ उक्त फाइल में अवश्य अंकित कर दिया गया है।

[स्टेप -2] शासनादेश फाइल संलग्नित करने के लिए क्लिक करें। | प्रिंट करें | वापस

संं0-15/2016/485/35-1-2016-2/1(86)/2014

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,
योजना भवन, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2016

विषय: उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के संचालन तथा राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं के संचालनार्थ बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोले जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदो/फलों आदि के कृषिकरण के अनुक्रम में कृषि, वानिकी, औद्यानिकी तथा पशु चारागाह हेतु अनुपयुक्त भूमि का उपयोग करते हुये जैव ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम जिसमें औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदों/फलों के कृषिकरण, मिशन बायोडीजल, मिशन बायो एथेनाल, मिशन बायो गैस तथा मिशन प्रोड्यूसर गैस के क्रियान्वयन आदि के सम्बन्ध में "राज्य जैव ऊर्जा नीति 2014" शासनादेश सं0 1569/35-1-2014-2/1(86)/2014, दिनांक 14.11.2014 द्वारा निर्गत की गयी है। तत्क्रम में उक्त नीति से आच्छादित योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी/सुचारू रूप से/समयवद्ध रूप से क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तरीय निर्णय के उपरान्त नियोजन विभाग के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में "उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड" का गठन, कार्यालय ज्ञाप संख्या- 40/2015/1261/35-1-2015-2/1(86)/2014 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा किया गया है।

उक्त शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप के क्रम में सोसाइटी पंजीयन 1860 के अन्तर्गत बोर्ड का पंजीयन सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार कार्यालय सोसाइटी चिट्स फण्ड्स फर्मस, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में हो चुका है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन हेतु परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा राज्य समन्वयक/मुख्य परिचालन अधिकारी, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के पद नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलने हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. प्रश्नगत बचत खाता वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-1-122/ दस-2012-10 (33)/2010, दिनांक 21.03.2012, शासनादेश सं0 10/2015-ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 20.05.2015, शासनादेश सं0-14/2015-ए-1-879/दस-2015-10 (33)/2010, दिनांक 23.09.2015 एवं शासनादेश संख्या-03/2016-ए-1-170/दस-2016-10(33)/2010, दिनांक 23.02.2016 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।
2. प्रश्नगत खाता बचत खाता होगा, जिसे उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के नाम से खोला जायेगा।

3. बैंक खाते का संचालन बोर्ड में तैनात राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक तथा नियोजन विभाग के वित्त नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।
4. बैंक खाते को योजनावधि तक चालू रखा जायेगा। योजना समाप्त होने पर खाते को नियमानुसार बन्द कर दिया जायेगा।
5. खाते के संचालन एवं रख रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित पालन किया जायेगा।
6. उक्त खाते का उपयोग उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं से सम्बन्धित धनराशि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-5-513/दस-2016, दिनांक 07 जून, 2016 में प्राप्त, उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-15/2016/485(1)/35-1-2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, (बायो फ्यूल), नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/परियोजना निदेशक, संयुक्त परियोजना निदेशक/राज्य समन्वयक/मुख्य परिचालन अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
9. केन्द्रीय सहायता (वित्त) अनुभाग।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जारी/श्री पी.एस. ओझा
13/6/2016

16/2016/
सं0 486/35-1-2016-2/1(86)/2014
1

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

जारी
13-6-2016

सेवा मे,

वित्त नियंत्रक,
नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 13 जून, 2016

विषय : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के संचालन तथा राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं के संचालनार्थ धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश में औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदो/फलों आदि के कृषिकरण के अनुक्रम में कृषि, वानकी, औद्यानिकी तथा पशु चारागाह हेतु अनुपयुक्त भूमि का उपयोग करते हुये जैव ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम जिसमें औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदों/फलों के कृषिकरण, मिशन बायोडीजल, मिशन बायो एथेनाल, मिशन बायो गैस तथा मिशन प्रोड्यूसर गैस के क्रियान्वयन आदि के सम्बन्ध में **''राज्य जैव ऊर्जा नीति 2014''** शासनादेश सं0 1569/35-1-2014-2/1(86)/2014 दिनांक 14.11.2014 द्वारा निर्गत की गयी है। तत्क्रम में उक्त नीति से आच्छादित योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रामों के प्रभावी/सुचारू रूप से/समयवद्ध रूप से क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तरीय निर्णय के उपरान्त नियोजन विभाग के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में **''उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड''** का गठन, कार्यालय ज्ञाप संख्या- 40/2015/1261/35-1-2015-2/1(86)/2014 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा किया गया है।

उक्त शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप के क्रम में सोसाइटी पंजीयन 1860 के अन्तर्गत बोर्ड का पंजीयन सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार कार्यालय सोसाइटी चिटस फण्ड्स फर्मस, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में हो चुका है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किऔषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदो/फलों आदि के कृषिकरण के अनुक्रम में कृषि, वानकी, औद्यानिकी तथा पशु चारागाह हेतु अनुपयुक्त भूमि का उपयोग करते हुये जैव ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम जिसमें औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदो/फलों के कृषिकरण, मिशन बायो डीजल, मिशन बायो एथेनाल, मिशन बायोगैस तथा मिशन प्रोड्यूसर गैस से सम्बन्धित योजनाओं/परियोजनओं/कार्यक्रमों के संचालन/सम्पादन तथा उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के संचालन के लिये राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में निम्नलिखित विवरण के

अनुसार रू0 1,50,00,000.00 (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अधोलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क)	मदों/लेखा शीर्षकों का विवरण	धनराशि हजार रू0 में
	2810 – नये और नवीनीकृत ऊर्जा (क्रमशः)– आयोजनागत	
	–04– उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड –	
	–20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)–	7,500
	–31– सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	7,500
	योग :	15,000
		(रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र)

(ख) (1) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को यथाशीघ्र उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिसे उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/राज्य जैव ऊर्जा नीति–2014 के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन हेतु बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोले जाने की स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश, सं0 485 /35–1–2016–2/1(86)/2014, दिनाकः 13 जून 2016 में अंकित शर्तो/प्रावधानों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये बोर्ड द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलकर खाते में रखा जायेगा तथा उसे/उसमें से आवश्यकतानुसार धनराशि को उक्त योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों/बोर्ड के संचालन हेतु वित्त नियंत्रक एवं राज्य समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित किया जायेगा।

(2) उक्त रूप से स्वीकृत/आहरित/उपलब्ध धनराशि को बोर्ड की कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार व्यय/उपयोग किया जायेगा।

(3) इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों/परिपत्रो/शासनादेशों/वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बोर्ड के स्मृति पत्र एवं नियमावली का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान सं0 40 के अन्तर्गत "लेखा शीर्षक–2810–नये और नवीनीकृत ऊर्जा (क्रमशः)–आयोजनागत–04–उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)–31 सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

~~4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 दिनांक जून, 2016 में प्राप्त, उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।~~

भवदीय

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

16/2016

सं0/486 (01)/35–1–2016–2/1(86)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा–परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
5. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, (बायो फ्यूल), नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/परियोजना निदेशक, संयुक्त परियोजना निदेशक/राज्य समन्वयक/मुख्य परिचालन अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
9. केन्द्रीय सहायता (वित्त) अनुभाग।
10. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
11. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
12. वित्त (लेखा) अनुभाग–1
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 16/2016/486/35-1-2016-2/1(86)/2014

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नियोज विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

वित्त नियंत्रक,
नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2016

विषय: उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के संचालन तथा राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/ योजनाओं/परियोजनाओं के संचालनार्थ धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश में औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदो/फलों आदि के कृषिकरण के अनुक्रम में कृषि, वानिकी, औद्यानिकी तथा पशु चारागाह हेतु अनुपयुक्त भूमि का उपयोग करते हुये जैव ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम जिसमें औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदों/फलों के कृषिकरण, मिशन बायोडीजल, मिशन बायो एथेनाल, मिशन बायो गैस तथा मिशन प्रोड्यूसर गैस के क्रियान्वयन आदि के सम्बन्ध में "राज्य जैव ऊर्जा नीति 2014" शासनादेश सं0 1569/35-1-2014- 2/1(86)/2014 दिनांक 14.11.2014 द्वारा निर्गत की गयी है। तत्क्रम में उक्त नीति से आच्छादित योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी/सुचारू रूप से/समयवद्ध रूप से क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तरीय निर्णय के उपरान्त नियोजन विभाग के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में "उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड" का गठन, कार्यालय ज्ञाप संख्या-40/2015/1261/35-1-2015-2/1(86)/2014, दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा किया गया है।

उक्त शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप के क्रम में सोसाइटी पंजीयन 1860 के अन्तर्गत बोर्ड का पंजीयन सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार कार्यालय सोसाइटी चिट्स फण्ड्स फर्मस, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में हो चुका है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदो/फलों आदि के कृषिकरण के अनुक्रम में कृषि, वानिकी, औद्यानिकी तथा पशु चारागाह हेतु अनुपयुक्त भूमि का उपयोग करते हुये जैव ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम जिसमें औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदो/फलों के कृषिकरण, मिशन बायो डीजल, मिशन बायो एथेनाल, मिशन बायोगैस तथा मिशन प्रोड्यूसर गैस से सम्बन्धित योजनाओं/परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के संचालन/सम्पादन तथा उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के संचालन के लिये राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में निम्नलिखित

विवरण के अनुसार रू0 1,50,00,000.00 (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अधोलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(क)	**मदों/लेखा शीर्षकों का विवरण**	**धनराशि हजार रू0 में**
	2810 - नये और नवीनीकृत ऊर्जा (क्रमशः)- आयोजनागत	
	-04- उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड -	
	-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)-	7,500
	-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	7,500
	योग:	15,000
		(रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र)

(ख) (1) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को यथाशीघ्र उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिसे उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन हेतु बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोले जाने की स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश सं0-15/2016/485/35-1-2016-2/1(86)/2014, दिनाकः 13 जून 2016 में अंकित शर्तो/प्रावधानों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये बोर्ड द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलकर खाते में रखा जायेगा तथा उसे/उसमें से आवश्यकतानुसार धनराशि को उक्त योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों/बोर्ड के संचालन हेतु वित्त नियंत्रक एवं राज्य समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित किया जायेगा।

(2) उक्त रूप से स्वीकृत/आहरित/उपलब्ध धनराशि को बोर्ड की कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार व्यय/उपयोग किया जायेगा।

(3) इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/परिपत्रो/शासनादेशों/ वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बोर्ड के स्मृति पत्र एवं नियमावली का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान सं0 40 के अन्तर्गत "लेखा शीर्षक-2810-नये और नवीनीकृत ऊर्जा (क्रमशः)-आयोजनागत-04-उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>सं0 -16/2016/486 (1)/35-1-2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, (बायो फ्यूल), नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/परियोजना निदेशक, संयुक्त परियोजना निदेशक/राज्य समन्वयक/ मुख्य परिचालन अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
9. केन्द्रीय सहायता (वित्त) अनुभाग।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सारांश			
शासनादेश संख्या विवरण	**16/2016/** 486/35-1-2016		
शासनादेश संख्या जारी करने का समय	13/06/2016 1:51PM		
1.विभाग एवं अनुभाग:	नियोजन विभाग (नियोजन अनुभाग-1)		
2.श्रेणी:	आयोजनागत वित्तीय स्वीकृति- राज्य सेक्टर	3.गोपनियता का स्तर:	जनमानस हेतू उप्लब्ध
4.शासनादेश दिनांक:	13/06/2016	5.अंकित धनराशि:	15000000.00
6.पत्रावली संख्या:	2/1(86)/2014		
7.विषय:	उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के संचालन तथा राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/ योजनाओं/परियोजनाओं के संचालनार्थ धनराशि की स्वीकृति।		

कृपया ध्यान दें:-शासनादेश की MS-WORD एवं PDF फाइल अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि WORD/PDF फाइल में वेबसाइट से प्राप्त शासनादेश संख्या:- 16/2016/ उक्त फाइल में अवश्य अंकित कर दिया गया है।

[स्टेप -2] शासनादेश फाइल संलग्नित करने के लिए क्लिक करें। | प्रिंट करें | वापस